इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए

(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

Committed to professional excellence

खंड संख्या 15 | अंक संख्या 07 | फरवरी, 2023 | पृष्ठों की संख्या - 9

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....4
विनियामक के कथन.....4
आर्थिक संवेष्टन.....5
नयी नियुक्तियाँ.....5
विदेशी मुद्रा.....5
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....6
संस्थान समाचार.....7
नयी पहलकदमी.....8
बाजार की खबरें.....8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति 6 से 8 फरवरी, 2023 की मुख्य बातें

6 से 8 फरवरी, 2023 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अधीन नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50% करना।
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 6.25% पर तथा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर एवं बैंक दर 6.75% पर समायोजित।
- दिसंबर, 2022 में सुर्खियों में आई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति घटकर 5.7 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) हो गई।
- वर्ष 2022-23 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति के 1ली तिमाही में 5.0 प्रतिशत, 2री तिमाही में 5.4 प्रतिशत, 3री तिमाही में 5.4 प्रतिशत और 4थी तिमाही में 5.6 प्रतिशत तथा जोखिमों के समान रूप से संतुलित रहने के साथ 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- मौद्रिक नीति समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति बढ़ते लक्ष्य के भीतर ही रहे, वृद्धि को समर्थन देते हुये निभाव सुविधा को वापस लेने पर ध्यान केन्द्रित रखने का निर्णय लिया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत औसत दैनिक अवशोषण अक्तूबर-नवंबर में 1.4 लाख करोड़ रुपए के औसत के समक्ष दिसंबर-जनवरी के दौरान बढ़कर 1.6 लाख करोड़ रुपए होने के साथ कुल मिलाकर चलनिधि अधिशेष की स्थिति बनी रही।
- वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के 1ली तिमाही में 7.8 प्रतिशत, 2री तिमाही में 6.2 प्रतिशत, 3री तिमाही में 6.0 प्रतिशत और 4थी तिमाही में 5.8 प्रतिशत तथा जोखिमों के व्यापक रूप से संतुलित होने के साथ 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

संघीय बजट 2023-24 की मुख्य बातें

- 'सप्तर्षि': बजट की सात प्राथमिकताओं में समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुँच, मूलभूत सुविधा एवं निवेश, संभाव्यता के दोहन/उपयोग, हरित वृद्धि, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र का समावेश है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, बड़े व्यवसायों और धर्मार्थ न्यासों को इंटिटी डिजिलाकर (Entity DigiLocker) सुविधा से दस्तावेजों को आनलाइन सुरक्षित रखने का लाभ प्राप्त होगा/की सुविधा प्राप्त होगी।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम में पर्यावरणीय रूप से वहनीय एवं अनुकूल कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रोत्साहित एवं साझा करने हेतु हरित ऋण (Green Credit) कार्यक्रम का समावेश किया जाएगा।
- पैन-इंडिया राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के तहत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका (Stipend) सहायता प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरूआत।
- ऋण के कुशल प्रवाह को सुगम बनाने, वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी।
- वित्तीय क्षेत्र के विनियामक जनता और विनियमित संस्थाओं के परामर्श से मौजूदा विनियमनों का व्यापक पुनरीक्षण करेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली कूट प्राधिकरण (IFSCA), विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्राधिकारियों, माल एवं सेवा कर संख्या (GSTN), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के साथ पंजीकरण एवं अनुमोदन के लिए एकस्थलीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की स्थापना की जाएगी।
- विदेशी बैंकों की भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट (IFSC) बैंकिंग इकाइयां अभिग्रहण वित्तीयन कर सकेंगी।
- उन्नत बैंक अभिशासन और निवेशक संरक्षण के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, बैंककारी कंपनी अधिनियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित।

आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23 की मुख्य बातें

- वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि वैश्विक महामारी के उपरांत अब भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारों का लाभ उठाने हेतु तैयार है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में वित्त वर्ष 24 में वास्तविक दृष्टि से 6.5 प्रतिशत की आधारभूत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। उक्त अनुमान व्यापक रूप से विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों तथा घरेलू स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गए अनुमानों से तुलनीय है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा नियमित अंतरालों पर लाभार्जन किए जाने तथा उनकी अनर्जक आस्तियों पर भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) द्वारा अपेक्षाकृत शीघ्र समाधान/परिसमापन के लिए त्वरित कार्रवाई किए जाने के परिणामस्वरूप उनके वित्तीय परिणामों में उल्लेखनीय कायापलट परिलक्षित हुआ है।
- इसके साथ ही यह सुनिश्चित करते हुये कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR) पर्याप्तता के प्रारम्भिक स्तर से सहज रूप से अधिक बना रहे, सरकार द्वारा उन्हें अच्छी तरह पूंजीकृत रखने हेतु यथोचित बजटीय सहायता प्रदान की जाती रही है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 23 में सुर्खियों में आने वाली मुद्रास्फीति के 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जो लक्ष्य की विस्तार-सीमा से परे है।
- समग्र बैंक ऋण में वृद्धि उधारकर्ता की अस्थिर बांड बाजार, जिसमें प्रतिफल में बढ़ोतरी हुई है, से निधीयन पसंदगियों में आए बदलाव से प्रभावित है। वित्त वर्ष 23 के पहले आठ महीनों में केंद्रीय सरकार के पूंजीगत व्यय (capex) में 63.4% की वृद्धि हुई है।
- वैश्विक पण्य की बढ़ी कीमतों के कारण चालू खाते के घाटे (CAD) में बढ़ोतरी का क्रम जारी रह सकता है, यद्यपि हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि सुदृढ़ बनी हुई है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

लॉकर करारों के नवीकरण की अंतिम तिथि एक वर्ष के लिए बढाई गई

विनियामकों द्वारा बैंकों के लिए मौजूदा सुरक्षित जमा लाकरों के लिए करारो के नवीकरण की प्रक्रिया पूरी करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को 23 जून, 2023 तक 50 प्रतिशत और 30 सितंबर, 2023 तक 75 प्रतिशत की मध्यवर्ती सीमा-चिन्ह सीमाओं के साथ चरणबद्ध रीति से 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को स्टाम्प पेपरों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करके संशोधित करारों के निष्पादन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां 1 जनवरी, 2023 तक करार के गैर-निष्पादन के लिए लाकरों के परिचालन रोक दिये गए हैं, उन पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटा लिया जान चाहिए।

बैंकों में 5% से अधिक हित धारण करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक

किसी बैंक में 5% से अधिक हित अभिगृहीत करने के इच्छुक व्यक्ति को अब एक आवेदन प्रस्तुत करके भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'प्रमुख शेयरधारिता' को किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंकिंग कंपनी में प्रदत्त/चुकता शेयर पूंजी अथवा मताधिकार के 5% या उससे अधिक की 'कुल शेयरधारिता' के रूप में परिभाषित किए जाने के बाद इस कार्य को अनिवार्य कर दिया गया है।

अभिग्रहण के उपरांत, यदि उस व्यक्ति की शेयरधारिता घटकर 5% से कम हो जाती है और वह अपनी धारिता को पुन: 5% या उससे अधिक बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से नया अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अपने ग्राहक को जानिए पुनर्प्रक्रिया (Re-KYC process) आमने-सामने से इतर चैनलों के जरिये पूरी की जा सकती है

अपने ग्राहक को जानिए (KYC) पुनर्प्रक्रिया को पूरा करने हेतु बैंक शाखा में भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता को समाप्त

करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि अपने ग्राहक को जानिए सूचना में कोई परिवर्तन न होने पर ग्राहकों द्वारा आमने-सामने से इतर चैनलों के माध्यम से स्वघोषणा (self-declaration) पर्याप्त होगी। बैंको को आमने-सामने से इतर विविध चैनलों यथा- पंजीकृत ई-मेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएमों (आनलाइन बैंकिंग/इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल अनुप्रयोग/एप्लिकेशन जैसे) डिजिटल चैनलों, पत्र आदि के जरिये यह सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ग्राहकों को किसी बैंक शाखा मे जा कर या परोक्ष रूप से वी- सीआईपी (V-CIP) के जरिये अपने ग्राहक को जानिए पुनर्प्रक्रिया अथवा नयी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने बैंक से विभिन्न उपलब्ध विकल्पों की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

बांड बाजार के सहभागी ई-कुबेर पर सही उपकरण का उपयोग करके जिल्ट नीलामी से संबन्धित त्रुटियाँ रोक सकते हैं

भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-कुबेर कोर बैंकिंग समाधान प्लेटफार्म स्थापित किया है जिसमें सदस्यों के रूप में बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, बीमा कंपनियों तथा भविष्य निधियों का समावेश है।

इस सुविधा के माध्यम से सहभागीगण (प्रतिफल के रूप में और मूल्य के रूप में) बोलियों (bids) के लिए एक ऐसा अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर सकते हैं जिसे वे बांड नीलामियों के लिए प्रस्तुत करना चाहते हों। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अधिसूचित किया है कि नीलामी पटल (window) के बंद हो जाने के बाद बोलियों के निरस्तीकरण के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने हेतु छः श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों की सूची तैयार की

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता के बारे में उनके दावों की जोखिम-भारिता निर्धारण में उपयोग के लिए छः घरेलू श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों की सूची तैयार की है। इनमें निम्नलिखित का समावेश है ;

क. अक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (अक्यूट)

ख. क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केयर)

ग. क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड

घ. इक्रा (ICRA) लिमिटेड

च. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स)

छ. इंफोमरिक्स वैल्युएशन एंड रेटिंग्स प्रा. लिमिटेड (इंफोमरिक्स)

विनियामक के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि के लिए ढांचागत सुधारों, निजी निवेश आकर्षित किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एशिया एवं प्रशांत विभाग (APD) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (SARTTAC), नयी दिल्ली द्वारा सह-आयोजित एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने निश्चयपूर्वक कहा कि जब कि अविरत एवं व्यापक आर्थिक पुनरुत्थान महत्वपूर्ण बने हुये हैं, वहीं दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के वृद्धि प्रक्षेप-पथ की संभाव्यता को बढ़ाने के लिए गहन ढांचागत सुधार आरंभ किए जाने भी आवश्यक हैं। श्री दास ने नीतिगत प्राथमिकता के कुछेक विशिष्ट क्षेत्रों पर बल दिया। पहला, संसाधन आबंटन अर्थात- उत्पादन को कमतर उत्पादक क्षेत्रों से हटाकर उच्च उत्पादक क्षेत्रों की दिशा में ले जाना तथा नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जाना अत्यधिक आवश्यक है। दूसरा, कौशल असन्तुलनों को शिक्षा एवं कौशल कोटि-उन्नयन के जरिये सुधारा जाना आवश्यक है। तीसरा, अनुसंधान और विकास

पर क्षेत्रों के निवेश वर्तमान निम्न स्तर से आवश्यक रूप से बढ़ने चाहिए तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं स्टार्ट-अपों के लिए नीतिगत वातावरण आवश्यक रूप से अधिक प्रतिफलदायक होना चाहिए। चौथा, उत्पादकता में वृद्धि, यथा- ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार के प्रमुख चालकों में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा की गई वार्षिक आर्थिक समीक्षा, 2022-23 में प्रमुख आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन निम्नानुसार वर्णित हैं :

- जनवरी-नवंबर, 2022 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को औसतन 30.6% से अधिक की ऋण वृद्धि उल्लेखनीय रूप से उच्च रही।
- वैश्विक पीएमआई सम्मिश्र सूचकांक अगस्त, 2022 से संकुचनशील क्षेत्र में रहा।
- वित्त वर्ष 23 की 2री तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी उपभोग 58.4% था, जो 2013-14 से अब तक समस्त 2री तिमाहियों में सर्वोच्च है।
- अमरीकी फेडरल द्वारा नीतिगत दरों में और वृद्धि की संभावना के परिणामस्वरूप अधिकांश अन्य मुद्राओं से बेहतर कार्य-निष्पादन कर रहे मूल्यह्रास के दौर से गुजर रहे रुपए की चुनौती बनी रही।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री सी. एस. शेट्टी	भारतीय स्टेट बैंक बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	27 जनवरी, 2023 के दिन करोड रुपए	27 जनवरी, 2023 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4702189	576761
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4149889	509018
1.2 सोना	358942	44027
1.3 विशेष आहरण अधिकार	150649	18478
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	42709	5238

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

फरवरी, 2023 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	4.30
जीबीपी	3.4278
यूरो	1.906
जापानी येन	-0.014
कनाडाई डालर	4.5100

मुद्रा	दरें
आस्ट्रेलियाई डालर	3.10
स्विस फ्रैंक	0.947518
न्यूजीलैंड डालर	4.25
स्वीडिश क्रोन	2.392
सिंगापुर डालर	3.5637

मुद्रा	दरें
हांगकांग डालर	1.28486
म्यामार रुपया	2.73
डैनिश क्रोन	1.6790

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

खजाना बिल (T-Bills)

खजाना बिल अथवा टी. बिल, जो मुद्रा बाजार के लिखत होते हैं, भारत सरकार द्वारा जारी अल्पावधिक ऋण लिखत होते हैं तथा वे वर्तमान में 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के परिपक्वता काल हेतु जारी किए जाते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

पूंजी पर्याप्तता अनुपात - (CAR)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) किसी बैंक के जोखिम-भारित ऋण एक्सपोजरों के एक प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किसी बैंक की उपलब्ध पूंजी का माप होता है। जोखिम - भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR) के रूप में भी ज्ञात पूंजी पर्याप्तता अनुपात का उपयोग जमाकर्ताओं को संरक्षित करने तथा विश्वभर में वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

फरवरी, 2023 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थल
अनुशासन प्रबंधन और अनुशासनिक कार्रवाई/कार्यवाही पर कार्यक्रम	2 से 4 फरवरी, 2023	प्रौद्योगिकी पर आधारित
ऋण निगरानी पर कार्यक्रम	7 से 9 फरवरी, 2023	
प्रमाणित लेखांकन एवं लेखा-परीक्षा व्यावसायिकों का प्रशिक्षण	8 से 10 फरवरी, 2023	
बैंकों के आंतरिक लेखा-परीक्षा अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	14 से 15 फरवरी, 2023	
विदेशी मुद्रा परिचालन पर कार्यक्रम	15 से 17 फरवरी, 2023	
नीतिशास्त्र पर कार्यशाला	15 फरवरी, 2023	
अपने ग्राहक को जानिए (KYC), धन-शोधन निवारण (AML) और आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला (CFT)	27 से 28 फरवरी, 2023	
बैंकों/कारपोरेट ग्राहकों की वित्तीय स्थिति पर भारतीय लेखांकन मानक (IND. AS) के निहितार्थ पर कार्यक्रम	27-28 फरवरी, 2023	
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की महिला अधिकारियों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम	7 मार्च, 2023	

संस्थान समाचार

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम- वित्तीय पहलकदमी की भागीदारी में अनुक्रियात्मक बैंकिंग पर एक बैंकिंग निर्वाचिका सभा का आयोजन

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर विभिन्न स्तरों के बैंकरों को सुग्राही बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम - वित्तीय पहलकदमी (UNEP-FI) के साथ भागीदारी कर रखी है। 30 जनवरी, 2023 को आयोजित उक्त निर्वाचिका सभा (conclave) में बैंकों के बोर्डों के सदस्य उपस्थित रहे, जिसके बाद क्रमश: 31 जनवरी, 2023, 1 फरवरी, 2023 और 2 फरवरी, 2023 को सामान्य बैंकरों, ऋण जोखिम व्यावसायिकों तथा संबंध प्रबन्धकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। क्रमश: 30 जनवरी, 31 जनवरी, और 1 फरवरी, 2023 को मूल विचार वाले व्याख्यान श्री सौरव सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री माधव नायर, कंट्री हेड एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मशरेक बैंक तथा श्री अश्विनी भाटिया, पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा दिये गये। 30 जनवरी, 2023 को उदघाटन भाषण श्री सुनील मेहता, मुख्य कार्यपालक, भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा दिया गया। विशेषज्ञों द्वारा अनुक्रियात्मक बैंकिंग पर कतिपय परस्पर सक्रिय सत्रों का संचालन किया गया। उक्त समारोह में सार्वजनिक/निजी/विदेशी बैंकों के सहभागी उपस्थित रहे तथा उपस्थित सहभागियों द्वारा उसकी अच्छी-खासी सराहना की गई।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक पाठ्यक्रम का आयोजन

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम 4-6 घंटों के शिक्षण के समावेश वाले ई-शिक्षण (E-learning) के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसके बाद एक मूल्यांकन सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रमाण पत्र इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाएंगे।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी - संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

संशोधित पाठ्यक्रम के अधीन विषयों, परीक्षा के प्रतिमान, विषयों के लिए उपलब्ध होने वाले सम्मान/रुतबों, उत्तीर्णन हेतु समय-सीमा, उत्तीर्णन मानदंड आदि के संबंध में विस्तृत सूचना वेबसाइट पर डाली गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा 'बैंकिंग प्रौद्योगिकी' : 2022-23 (आईआईबीएफ एवं आईडीआरबीटी की संयुक्त पहलकदमी) में रिसर्च फ़ेलोशिप हेतु आवेदन आमंत्रित

संस्थान 'बैंकिंग प्रौद्योगिकी': 2022-23 (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एवं बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (IDBRT) की संयुक्त पहलकदमी) में रिसर्च फ़ेलोशिप हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में रिसर्च फ़ेलोशिप का उद्देश्य तकनीकी और आर्थिक रूप से संभाव्य ऐसी प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित करना है जिनमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से योगदान करने की संभाव्यता विद्यमान हो। आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा हीरक जयंती एवं सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF)- 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित

संस्थान हीरक जयंती एवं सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF)- 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इस फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थी को भारत अथवा विदेशों में बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में अद्यतन घटनाओं पर शोध

अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2023 है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा सूक्ष्म एवं स्थूल शोध के अधीन प्रस्ताव आमंत्रित

संस्थान अपने सदस्यों (बैंकरों) को अपनी रुचि के क्षेत्रों एवं उत्तम प्रथाओं पर स्वयं अपने मौलिक विचार, मन्तव्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सूक्ष्म शोध 2022-23 हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। संस्थान वर्ष 2022-23 के लिए स्थूल शोध प्रस्ताव भी आमंत्रित करता है। दोनों ही श्रेणियों के तहत आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2023 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के जनवरी - मार्च, 2023 तिमाही के लिए आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: 'Increased Footprints of Financial Planning and Wealth Management.'

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने -आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि:

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2023 से जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

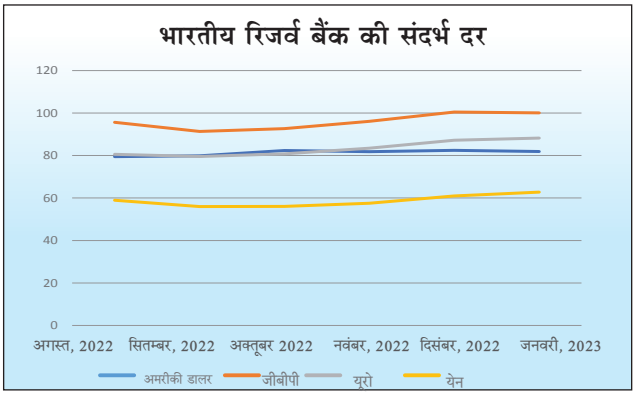

स्रोत: एफबीआईएल

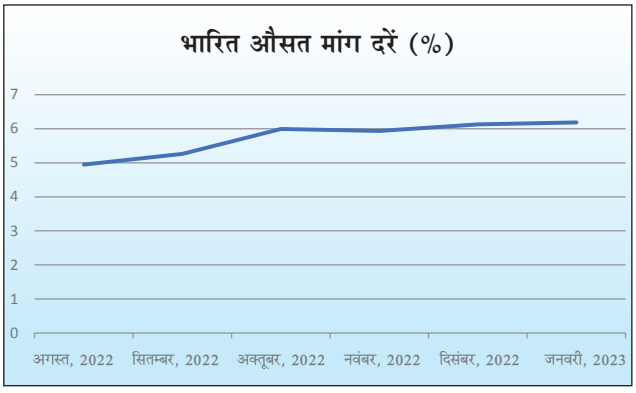

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

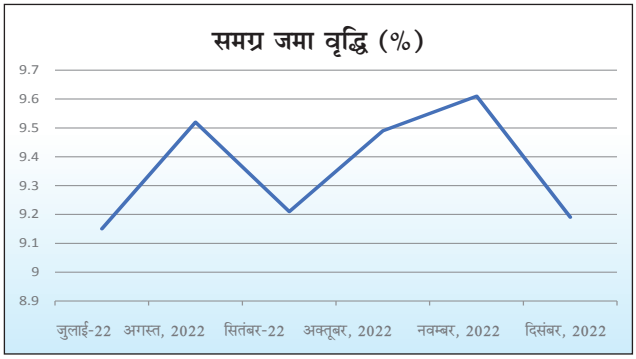

स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसम्बर, 2022

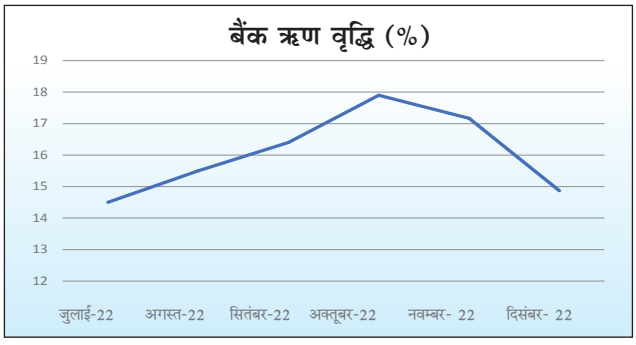

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

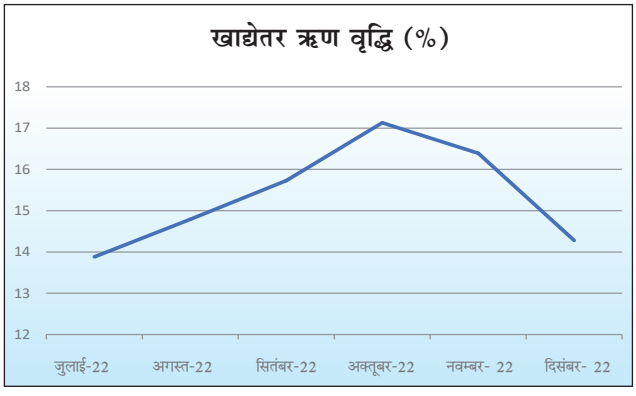

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, दिसम्बर, 2022

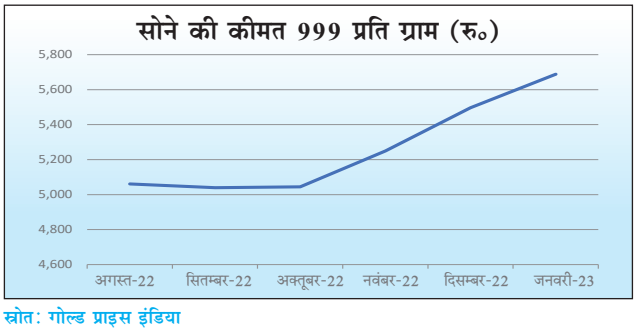

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

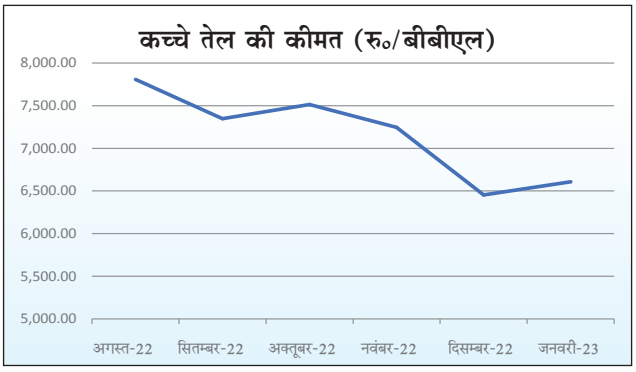

स्रोत : पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

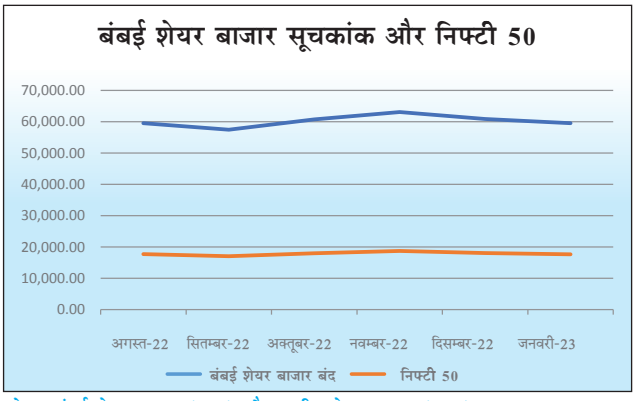

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE)

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in